पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 232/2017 1376 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, टिकारी।

पटना, दिनांक–31/10/18

विषयः– राज्य योजना अन्तर्गत टिकारी नगर पंचायत के मुख्य पथों के फ्लैंक में इंटरलॉकिंग पेभर ब्लॉक लगाने के कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, डुडा, गया का पत्रांक–248 दिनांक–06.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

प्राक्कलन के जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	राज्य योजना अन्तर्गत टिकारी नगर पंचायत के मुख्य पथों के फ्लैंक में इंटरलॉकिंग पेभर ब्लॉक लगाने के कार्य।	145.054 (विभागीय पत्रांक–07 दिनांक–27.10.2018)	143.788	1,37,00,314/–

अतः उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक–एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
30/10/18
अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

F:\V N File 2014\Gaya\Gaya T S.docx

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

1 **योजना का नाम** :– राज्य योजना अन्तर्गत टिकारी नगर पंचायत के मुख्य पथों के फ्लैंक में इंटरलॉकिंग पेभर ब्लॉक लगाने के कार्य।

2 **प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग** :– 1,45,05,400/–(एक करोड़ पैतालीस लाख पाँच हजार चार सौ) रूपये मात्र। विभागीय पत्रांक–07 दिनांक–27.10.2018

3 **तकनीकी स्वीकृति की राशि**:– 1,43,78,800/–(एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार आठ सौ) रूपये मात्र

4 **(i)** कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।

(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसुस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।

(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।

(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेगें।

(vi) प्राक्कलन में पथ के क्रष्ट में केंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रष्ट पर ना हो।

(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेगें।

(viii) गुणवता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय–समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।

(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेगें तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देगें।

(xi) गैर अनुसूचित मद के कार्यो का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेगें।

(xii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।

(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिशचित करें।

30/10/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।